

कार्यालय ग्राम पंचायत-

हुरमुजपुर

विकास स्थल

साहात

जनपद

ग्रामीण

प.गां

दिनांक १५/०८/२३

विषय:- जल जीवन मिशन (हुर घर घल) के अन्तर्गत शुद्ध पेयजल हेतु पानी की उत्की को निर्माण, संचालन व अनुरक्षण के सम्बन्ध में।

मामूल

अवगत कराना है कि दिनांक ५/६/२३ को प्रातः 10:00 बजे से पंचायत भवन परिसर में ग्राम पंचायत में नियारा करने वाले प्रत्येक परिवारों को शुद्ध पेयजल की उपलब्धता हेतु खुली बैठक की गयी। बैठक में ग्राम पंचायत के सभी वार्ड सदस्य, लेखपाल, पारमिक/जूड़हाईस्कूल के प्रधानाधार्य, छव्यापक, शिक्षामित्र, औंगनवाडी कार्यकर्ता/सत्राधिकार, कोटंदार, ४०एन०एस० एवं आशा द्वारा प्रतिभाग किया गया।

उस बैठक में ग्राम पंचायत सचिव द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं हेतु दिशा-निर्देशों के सम्बन्ध में विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम पंचायत में निवास करने वाले प्रत्येक परिवारों से परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अंशदान किए जाने तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु निर्धारित यूजर चार्ज जमा किए जाने के सम्बन्ध में अवगत कराया गया है। ग्राम पंचायत के लगभग प्रतिशत परिवारों द्वारा निर्धारित लागत अंशदान एवं यूजर चार्ज जमा करने की सहमति दी गयी है। परिवार के गुणिया द्वारा दी गयी सहमति पत्र संलग्न है।

जल जीवन मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुरार ग्राम पंचायत पाइप पेयजल योजना के क्रियान्वयन तथा संचालन एवं अनुरक्षण हेतु सहमति है।

जल अनुरोध है कि कृपया यथाशीघ्र ग्राम पंचायत में पाइप पेयजल योजना का निर्माण करने हेतु आवश्यक कारंताही कारने का काट करें।

रामेश्वर: परिवार द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र।

भवदाय,

ग्राम पंचायत
विद्यालय-संस्कार संस्कृत

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi(U.P.)

प्रधान: *mashel/201*
ग्राम पंचायत-हुरमुजपुर
विकास स्थल-साहात
ग्राम प्रथमा-गाजीपुर (उत्तर)


ग्राम कार्य योजना (वी.ए.पी.)

जल संबंधी उन सभी गतिविधियों की पहचान करना जो ग्राम समुदाय की 'जीवन सुगमता' को बेहतर बनाने में मदद करती है। (ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि द्वारा तैयार की जानी है और डी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने से पहले ग्राम सभा में अनुमोदित की जानी है। आई.एस.ए. द्वारा मार्गदर्शन सहायता प्रदान की जानी है)

- तैयारी की तारीख: १५/०६/२३
ग्राम सभा में अनुमोदन की तारीख: १३/०७/२३
टी.डब्ल्यू.एस.एम. को प्रस्तुत किए जाने की तारीख:
- ग्राम का नाम: कुरुमुकु
ग्राम पंचायत का नाम: कुरुमुपाल
ब्लॉक का नाम: आरपुर
जिला का नाम: गढ़ीपुर
राज्य का नाम: उत्तर प्रदेश
ग्राम उन्नगणना कोड:

(यदि लागू हो तो, वस्तियों की संख्या और उनके नाम)

- ग्राम पंचायत संकल्प
 - ग्राम समुदाय की आकांक्षा : (संख्या) मध्यस्थी कुंडों को और (संख्या) कपड़े धोने/स्नान करने के स्थानों को जल आपूर्ति करने सहित प्रतिदिन भवित्व आधार पर अर्थात घन्टे निर्धारित गुणवत्ता + याले..... एल.पी.सी.डी. जल की आपूर्ति वर्ष तक ग्रामीण परिवारों की उपलब्ध कराने के लिए एफ.एच.टी.सी. प्रदान करना
हम, ग्राम समुदाय के लोग, अपनी अंतःग्राम जल आपूर्ति अवसंरचना के अपनात्व, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी लेते हैं। हम अपने जल निकायों का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें संदूषित नहीं करेंगे। हम अपने गंदले जल की व्यवस्था करेंगे और अपने मीठे पानी की बघाएंगे।
यह संकल्प लिया जाता है कि पूँजी लागत का ____ %, प्रचालन और रख-रखाव लागत के परिगणित हिस्से का भुगतान किया जाएगा और जल आपूर्ति प्रणाली के प्रबंधन में योगदान किया जाएगा।
 - पानी की गुणवत्ता का प्रमाण पत्र पी.एच.डी./ आर.डब्ल्यू.एस. विभाग द्वारा जारी किया जाएगा।
 - ग्राम पंचायत और/ या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./ पानी समिति/ प्रयोक्ता समूह आदि का विवरण
 - कौन सी समिति गांव में जल आपूर्ति योजना की आयोजना, कार्यान्वयन, प्रबंधन, प्रचालन और रख-रखाव का नेतृत्व करेगी?
(ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति): प्रीति खन स्व २१८५०८० समिति
समिति को क्या कहा जाता है:
अध्यक्ष का नाम: मनोज कुमार
लिंग: महिला
आयु: _____



M.P. Singh
(Director)
Sankhya Foundation
Varanasi (U.P.)

III. सामान्य विवरण

6.

जनसंख्या
पर्याप्त
मानविकीकृति
पर्याप्त
विद्युत विद्युत
पर्याप्त


जनसंख्या
पर्याप्त
मानविकीकृति
पर्याप्त
विद्युत विद्युत
पर्याप्त

7. जनसंख्या अनुमान:

मध्यवर्ती घरण - वर्तमान से 15 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 18% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.) अंतिम घरण
वर्तमान से 30 वर्ष (वर्तमान जनसंख्या में 32% वृद्धि): _____ किलोलीटर/दिन (के.एल.डी.)

8. वर्तमान मध्यस्थी संख्या (पशुपालन रिकॉर्ड): _____

9. कृषि प्रस्तर पैटर्न: _____

10. औसत जिला वर्षी (मि.मी. में): 160 25 180 mm.

11. स्थलाकृति (समतल, ढलान, आदि): _____

IV. स्थिति विश्लेषण

12. क्या सासाधन मानचित्रण किया गया है? (हैं/नहीं) है
(‘शाम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)13. क्या सामाजिक मानचित्रण किया गया है? (हैं/नहीं) है
(‘शाम कार्य योजना’ के साथ मानचित्र संलग्न करें)

14.

1. जनसंख्या	जनसंख्या का सामान्य विवरण (पर्याप्त/मानविकीकृति/विद्युत विद्युत/पर्याप्त)	जनसंख्या का सामान्य विवरण (पर्याप्त/मानविकीकृति/विद्युत विद्युत/पर्याप्त)	जनसंख्या का सामान्य विवरण (पर्याप्त/मानविकीकृति/विद्युत विद्युत/पर्याप्त)
2. जागरनवाही			
3. विद्युत विद्युत			
4. ग्राम पशुपत्रह विवरण			
5. विवरण			



सोत स्थायित्व

24. झू-जल सोत के नामले में, क्या बोरवेल रिचार्ज संरचना है? (हाँ/नहीं)

25. गांव में उन मौजूदा जल अंडारों की सूची जिनका कार्याकल्प/मरम्मत कार्य किया जाना आवश्यक है:

गंदला जल का प्रबंधन

26. उत्पन्न गंदला जल (जल आपूर्ति का 65%): 53.1 के.एल.डी.अलग-अलग सोखता गड्ढों वाले परिवारों की संख्या: 26उन परिवारों की संख्या जिन्हें सोखता गड्ढों की आवश्यकता है: 31आवश्यक सामुदायिक सोखता गड्ढों की संख्या: 6क्या अपरिषिष्ट तलाश तालाब की आवश्यकता है? (हाँ /नहीं): हाँयदि हाँ, तो क्या इसके लिए स्थान अभिनिर्धारित किया गया है: झूम्खी बहु

यदि नहीं, तो गंदला जल प्रबंधन के कौन से अन्य उपायों को अपनाया जाना चाहिए?

V. जल आपूर्ति योजना

27. निम्नलिखित में से किस श्रेणी के तहत एफ.एच.टी.सी. प्रदान किए जाएंगे:

- अंतिम और तक पहुँच के लिए पूर्ववर्ती एन.आर.डी.डब्ल्यू.पी. के तहत शुरू की गई योजनाओं की रेट्रोफिटिंग
- पूर्ण हो चुके आर.डब्ल्यू.एस. की रेट्रोफिटिंग ताकि इसे डे.जे.एम. के अनुकूल बनाया जा सके
- निर्धारित गुणवत्ता वाले पर्याप्त झू-जलस्प्रिंग वाटर स्थानीय या धरातली जल वाले गांवों में एस.डी.एस.
- शोधन की आवश्यकता वाले किन्तु पर्याप्त झू-जल वाले गांवों में एस.डी.एस.
- वाटर गिड/होटीय जल आपूर्ति योजनाओं वाले एम.डी.एस.
- मिनी सीर ऊर्जा आधारित पी.डब्ल्यू.एस. जो एकान्त/आदिवासी बसिस्तयों में स्थित हैं

28. अभिनिर्धारित जल योग्यता: _____ तकनीकी-आर्थिक और सामाजिक-आर्थिक गुण्यांकन के आधार पर प्रस्तावित जल आपूर्ति योजना: _____

इस योजना के लिए अभिनिर्धारित भूमि: _____

वह तारीख, जिस पर यह भूमि पी.एच.डी.डी./आर.डब्ल्यू.एस. दिभाग को संपूर्ण दी जाएगी: _____

योजना की लागत: _____ मारत सरकार का हिस्सा: _____ राज्य का हिस्सा: _____

समुदाय का हिस्सा: _____ व्यक्तिगत घरेलू अंशदान: _____

प्रायोगिक प्रचालन व रखन-खाल शुल्क: _____ व्यक्तिगत घरेलू ग्रासिक जल शुल्क:

प्रयोगक्षमता शुल्क: _____ कोई दूरस्थ बसावट हो तो, अभिनिर्धारित पी.डब्ल्यू.एस.: _____

VI. मेल-जौल

(निम्नलिखित तालिका में उन संभावित योजनाओं का उल्लेख किया गया है जिसके तहत गतिविधि/ लिपि मेल-जौल संभव है। याम समुदाय द्वारा याम की आवश्यकताओं के अनुसार अभिनिर्धारित योजनाओं के प्रस्ताव भेजे जाने हैं।)

प्रायोगिक प्रचालन व रखन-खाल शुल्क	प्रयोगक्षमता शुल्क	प्रयोगक्षमता व रखन-खाल शुल्क	प्रयोगक्षमता व रखन-खाल शुल्क
प्रयोगक्षमता शुल्क	प्रयोगक्षमता व रखन-खाल शुल्क	प्रयोगक्षमता व रखन-खाल शुल्क	प्रयोगक्षमता व रखन-खाल शुल्क
प्रयोगक्षमता शुल्क	प्रयोगक्षमता व रखन-खाल शुल्क	प्रयोगक्षमता व रखन-खाल शुल्क	प्रयोगक्षमता व रखन-खाल शुल्क
प्रयोगक्षमता शुल्क	प्रयोगक्षमता व रखन-खाल शुल्क	प्रयोगक्षमता व रखन-खाल शुल्क	प्रयोगक्षमता व रखन-खाल शुल्क



योजना का नाम	केन्द्र/राज्य सरकार का विभाग	संभावित गतिविधियाँ जो शुरू की जा सकती हैं वाटरशेड प्रबंधन/आरडब्ल्यूएच/ कृषि पुनर्जीवन, जस निकासों का निर्माण शुरू किया जाए।	प्रस्तावित निधि
एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (आई.डब्ल्यू.एम.पी.)	अमेरिकी संसाधन विभाग	जल अंडारी की मरम्मत, नदीनोकरण और जीणांदार	बड़े जल अंडारी का जीणांदार
जल अंडारी की मरम्मत, नदीनोकरण और जीणांदार	जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	वाटरशेड से संबंधित कार्य
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.टी.एड.)	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण	कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण मंत्रालय	जल की अधिक खपत वाली विभिन्न फसलों के लिए सूखन-सिंचाई का प्राप्तिकरण, एकीफर्से से जल की निकासी को कम करने के लिए नदीनोकरण, बन पारिस्थितिकी तंत्र का पुनर्जीवन, टॉटरशेड विकास, आदि।
प्रदूषनमंत्री कौशल विकास योजना (पी.एम.के.एस.वाई.)	पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय	कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय	आरडब्ल्यूएस. योजनाओं के लिए आवश्यक मानव संसाधनों के लिए कौशल विकास, प्रशिक्षण आदि
समव्युत्पादन	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	स्कॉलों से पैदल आपूर्ति नव प्राप्तिकरण
आक्षयकृष्ण जिला कार्यक्रम	नीति आयोग		जिला कलेक्टर के पास उपलब्ध विकासाधीन निधियों के तहत जल संरक्षण गतिविधियाँ
जिला अनिवार्य विकास निधि (डी.एम.ए.ए.) एम.पी.एल.ए.डी.	राज्य		बड़े पैमाने पर जल संरक्षण गतिविधियाँ
एम.एल.ए.एल.ए.डी.	सांस्थिकी और कार्यक्रम कार्यालयकरण मंत्रालय (एम.ओ.एस.पी.आई.)	राज्य	अंतर्राष्ट्रीय अवसरण
संविधान के अनुच्छेद 275 (1) के तहत अनुदानावलनजातीय उप योजना (टी.एस.एस.)	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	जनजातीय मामलों का मंत्रालय और राज्य	अंतर्राष्ट्रीय अवसरण
दानदाता/प्रायोजक			अंतर्राष्ट्रीय अवसरण

अध्यक्ष का हस्ताक्षर: _____

पी.एच.डी.टी./आर.डब्ल्यू.एस. विभाग के अधिकारी का नाम और हस्ताक्षर: _____

आई.एस.ए. प्रतिनिधि का नाम और हस्ताक्षर (यदि लागू हो): _____

संपर्क विवरण

ग्राम पंचायत और/या इसकी उप-समिति, अर्थात् वी.डब्ल्यू.एस.सी./पानी समिति/प्रयोक्ता समूह, आदि का अध्यक्षः
पंचायत सचिव का नाम और फोन नंबर:

जमीनी तकनीशियन का नाम और फोन नंबर:

पानी की शाखावतता की चौकसी सुनिश्चित करने के लिए बांध महिलाओं के नाम और फोन नंबर:

1. श्रीमा देवी = ९९०८५७४५६४
2. लुक्ती = २५०६३६१९६९
3. नृप नी = ४४८७४०६६२०८
4. लालसा = ८४४१५५०५५१
5. ईरा = ७४४७०५१७२८

पप ऑपरेटर का नाम और फोन नंबर:

प्रधान: *lakshmi devi*
ग्राम पंचायत-हुरमुण्डु
विकास लाइन
गिरा-गाजीपुर (उत्तराखण्ड)

M.P. Singh
(Director)
Sushma Foundation
Varanasi (U.P.)